



दिनांक 04.02.2026

प्रेस विज्ञप्ति 09 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद अमेठी/थाना मोहनगंज

- चोरी की घटना का अनावरण
- 04 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की लगभग 12 लाख रुपये कीमत की पीली-सफेद धातु के आभूषण
- चोरी के 41 हजार रुपये नगद बरामद

दिनांक: 04.02.2026 को थाना मोहनगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 04 अभियुक्तों 1-सूरज 2-राजकुमार 3-अर्जुन 4-दीपक को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की लगभग 12 लाख रुपये कीमत की पीली-सफेद धातु के आभूषण, चोरी के 41 हजार रुपये नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना मोहनगंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मोहनगंज पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रुपये चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना मोहनगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-सूरज निवासी फूला थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।
- 2-राजकुमार निवासी फूला थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।
- 3-अर्जुन निवासी फूला थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।
- 4-दीपक निवासी फूला थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।

बरामदगी

- 1-चोरी की लगभग 12 लाख रुपये कीमत की पीली-सफेद धातु के आभूषण।
- 2-चोरी के 41 हजार रुपये नगद।

कमिशनरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर-39

- 06 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की 03 कार
- चोरी करने के उपकरण
- 02 फर्जी नम्बर प्लेट
- घटना में प्रयुक्त हुण्डई ओरा कार आदि बरामद

दिनांक: 04.02.2026 को थाना सेक्टर-39 पुलिस टीम व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर-82 कट के पास से 06 अभियुक्तों 1-समीर उर्फ दाउद उर्फ कुंजा 2-सालिम 3-आजाद 4-सलीम 5-मोहसीन 6-मो0 फैसल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 03 कार, चोरी करने के उपकरण, 02 फर्जी नम्बर प्लेट, घटना में प्रयुक्त हुण्डई ओरा कार आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त समीर उर्फ दाउद उर्फ कुंजा के विरुद्ध कमिशनरेट गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, जनपद अमरोहा, राजस्थान, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 14 अभियोग, अभियुक्त सालिम के विरुद्ध कमिशनरेट गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, राजस्थान, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर चोरी आदि के 07 अभियोग, अभियुक्त आजाद के विरुद्ध कमिशनरेट गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर व दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट आदि के 41 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर-39 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-समीर उर्फ दाउद उर्फ कुंजा निवासी नीमखेड़ा थाना नीमखेड़ा जनपद सम्भल।
- 2-सालिम निवासी ग्राम कोड़ गर्भी थाना कोतवाली सम्भल जनपद सम्भल।
- 3-आजाद निवासी मुस्तफाबाद थाना दयालपुर, दिल्ली।
- 4-सलीम निवासी ग्राम मांडली समसपुर थाना इचोडा जनपद सम्भल। 5-मोहसीन निवासी थाना सिटी पुलिस जनपद जोधपुर, राजस्थान।
- 6-मो0 फैसल निवासी मंसूरी थाना देवनगर जनपद जोधपुर, राजस्थान।

बरामदगी

- 1—चोरी की 03 कार।
- 2—चोरी करने के उपकरण।
- 3—02 फर्जी नम्बर प्लेट।
- 4—घटना में प्रयुक्त हुण्डई ओरा कार आदि।

➤ जनपद आजमगढ़/थाना रानी की सराय (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 05 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना रानी की सराय पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/504 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त जयेन्द्र कुमार को सश्रम आजीवन कारावास व 01 लाख 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद बलिया/थाना खेजुरी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलिया द्वारा थाना खेजुरी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त भीम को 12 वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।



दिनांक: 04.02.2026

प्रेस विज्ञापित: 10/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।

साइबर अपराध जागरूकता के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश को Lien % में प्राप्त हुआ राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय स्थान

- देश में उ0प्र0 Lien % में तीसरे स्थान पर ।
- उ0प्र0 24वें स्थान से तीसरे स्थान पर आ गया ।
- 48 करोड़ 45 लाख 27 हजार धनराशि फ्रीज की गयी ।

(माह जनवरी 2026 के आकड़ों के अनुसार)

- कल्ली पश्चिम लखनऊ स्थित कॉल सेन्टर में शीघ्र ही अतिरिक्त 30 सीटों की वृद्धि होगी ।

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ जी ने साइबर अपराध को राज्य की आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता तथा नागरिकों की निजता के लिए गंभीर चुनौती मानते हुए इसकी रोकथाम, नियंत्रण और प्रभावी अन्वेषण को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल किया है ।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 श्री राजीव कृष्ण द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप प्रदेश में बेहतर पुलिसिंग तथा जनसमस्याओं के प्रभावी निस्तारण हेतु 10 प्रमुख प्राथमिकताएँ निर्धारित की गईं। इनमें साइबर अपराध की रोकथाम एवं नियंत्रण को एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता के रूप में सम्मिलित किया गया। इसके दृष्टिगत साइबर जागरूकता, प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन पर विशेष बल देते हुए ठोस एवं योजनाबद्ध प्रयास किए गए ।

पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम, श्री बी.के. सिंह के नेतृत्व में विगत आठ महीनों में साइबर अपराधों से बचाव हेतु 500 से अधिक साइबर जागरूकता कैम्पों का आयोजन किया गया। इनमें से 14 कार्यक्रमों में पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा स्वयं ऑनलाइन प्रतिभाग कर लगभग 01 लाख से अधिक नागरिकों को जागरूक किया गया। साथ ही, प्रदेश के समस्त थानों में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को साइबर विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित कराया गया ।

इन सुनियोजित एवं सतत प्रयासों के समेकित परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश साइबर (लियन%) रैंकिंग में पूर्व के 24वें स्थान से उल्लेखनीय प्रगति करते हुए तृतीय स्थान पर पहुँच गया है, जो प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

कल्ली पश्चिम लखनऊ स्थित 30 सीटर स्टैण्ड अलोन कॉल सेन्टर की मौजूदा समय में प्रतिदिन 05 हजार काल लेने की क्षमता है । इसमें 30 सीट की अतिरिक्त वृद्धि शीघ्र की जा रही है, जिससे भविष्य में काल लेने की क्षमता 05 हजार से बढ़कर 09 हजार प्रतिदिन हो जायेगी ।

जनवरी 2026 में Lien % से सम्बन्धित विवरण

स्थान	प्रदेश	रिपोर्ट की गयी कुल शिकायत	FIR पंजीकृत	रिपोर्ट की गयी धनराशि (रु० लाख में)	Lien की गयी धनराशि (रु० लाख में)	Lien प्रतिशत
प्रथम	दादरा और नगर हवेली	123	02	63.96	39.94	62.44
द्वितीय	हरियाणा	9207	85	5858.23	2092.73	35.72
तृतीय	उ०प्र०	29715	270	13831.93	4845.27	35.02

स्रोत :NCRP पोर्टल

Lien क्या है

साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल(NCRP) व साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के माध्यम से पंजीकृत होने वाली वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की शिकायतों से सम्बन्धित ठगी गयी धनराशि को बैंकिंग प्रणाली से बाहर निकलने से रोकने हेतु NCRP पर CFCFRMS विकल्प मौजूद है। इस पर पुलिस व बैंक/वित्तीय संस्थान कार्य करते हैं। ठगी गयी धनराशि से सम्बन्धित जितनी धनराशि लाभार्थी खातों में रोकी जाती है वह धनराशि **Lien Amount कहलाता** है। कुल ठगी गयी धनराशि से जितनी धनराशि लाभार्थी बैंक खातों में रुक जाती है उसी के अनुपात में Lien प्रतिशत निकलता है।

साइबर अपराध से बचाव हेतु पुलिस महानिदेशक उ०प्र०का आमजन को सन्देश

साइबर अपराध चार प्रमुख कारणों से होते हैं—**लालच, लापरवाही, लत तथा भय (डिजिटल अरेस्ट)**

- 1- लालच :-** अत्यधिक एवं सुनिश्चित लाभ का दावा करने वाली किसी भी योजना को संदिग्ध मानना चाहिए। कोई भी वैध वित्तीय प्रणाली अल्प समय में धन को दोगुना करने का आश्वासन नहीं देती।
- 2- लापरवाही :-** साइबर अपराधी अब अत्यंत परिष्कृत तरीकों से आमजन को भ्रमित करते हैं और अनजाने में ओटीपी अथवा संवेदनशील जानकारी साझा करवा लेते हैं। उन्होंने इस संदर्भ में सतर्कता एवं जागरूकता को सबसे प्रभावी बचाव बताया।
- 3- लत :-** धन आधारित ऑनलाइन गेमिंग कई बार गंभीर अपराधों, आत्महत्या तथा पारिवारिक त्रासदियों का कारण बनती है। ऑनलाइन गेमिंग का उद्देश्य खिलाड़ियों को लाभ पहुँचाना नहीं, बल्कि उसे विकसित करने वाली संस्थाओं को आर्थिक लाभ पहुँचाना होता है।
- 4- भय (डिजिटल अरेस्ट) :-** भारत में कोई भी कानून प्रवर्तन एजेंसी, न्यायालय अथवा विभाग वीडियो कॉल अथवा ऑनलाइन माध्यम से गिरफ्तारी या जुर्माने की मांग नहीं करता। इस प्रकार के मामलों में प्रायः पढ़े-लिखे एवं अनुभवी लोग भी भय के कारण ठगी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे अधिकांश अपराध विदेशों से संचालित किए जा रहे हैं, जिन पर भारत सरकार निरंतर प्रभावी कार्यवाही कर रही है।

साइबर अपराध से बचाव :-

- साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर पर सूचना देना अत्यंत 1930 आवश्यक है। यह भारत सरकार द्वारा संचालित एक प्रभावी तंत्र है, जिससे जुड़े सभी बैंक एवं एनबीएफसी संदिग्ध खातों को शीघ्र फ्रीज कर सकते हैं।
- गोल्डन टाइमफ्रेम के भीतर रिपोर्ट करें-
- सही तथ्यों को दर्ज कराएं।

Lien % में उ0प्र0 की स्थिति

माह अक्टूबर -2025 lien 20.09%

माह जनवरी -2026 lien 35.02% (Frauded Amount 13831 lacs- Lien Amount 4845 lacs)

Lien वृद्धि के प्रमुख कारण

- पूर्व में 20 सीटर कॉल सेन्टर यू0पी0 112 Hqs में संचालित था जिस कारण बड़ी संख्या में कॉल Unattended रह जाती थी।
- पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा जुलाई-2025 में कल्ली पश्चिम लखनऊ स्थित **30 सीटर स्टैण्ड अलोन कॉल सेन्टर का उद्घाटन किया गया।** जिसके फलस्वरूप कॉल अटेन्ड दर में वृद्धि हुई।
- स्टैण्ड अलोन कॉल सेन्टर में CFMC (साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर) स्थापित किया गया जिसमें वर्तमान में 13 प्रमुख बैंक प्रतिनिधि उपलब्ध हो चुके हैं जिनके द्वारा रियल टाइम वित्तीय धोखाधड़ी से सम्बन्धित धनराशि फ्रीज करने का कार्य किया जा रहा है।
- पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार NCRP के माध्यम से पंजीकृत होने वाली वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायतों पर Lien कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने हेतु Send to Intermediaries Option से अविलम्ब Push किये जाने हेतु जनपदों के साथ गोष्ठी कर रणनीति बनाकर कार्य किया गया।
- Send to Intermediaries सम्बन्धी भारी धनराशि की शिकायतों एवं लम्बित पड़ी शिकायतों को मुख्यालय स्तर एवं I4C में कार्यरत पुलिस कर्मियों द्वारा शीघ्रता से Push किया जाता है।
- Send to Intermediaries Push होने के बाद मुख्यालय, I4C व स्टैण्ड अलोन कॉल सेन्टर के पुलिस कर्मियों द्वारा बैंकों से लेयरवाइज धनराशि फ्रीज कराने का फालोअप कार्य किया जाता है।
- Reassign शिकायतों के सम्बन्ध में जनपदों की ऑनलाइन गोष्ठी कर इनको शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिये गये।
- भारी धनराशि की शिकायतों पर मुख्यालय व I4C-UP Team द्वारा स्वयं संज्ञान लेकर Push एवं Follow-up की कार्यवाही की जाती है।
